न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 08 / 2021

मजीद खां उर्फ वाजिद खां आदि बनाम युसुफ खां आदि

प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत

उपस्थिति :

1. श्री अजय कुमार, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः– 25.02.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा संख्या 42 / 2020 में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में कैवियट होने पर कैवियटकर्ता को तलब किया गया तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित जमीन के बाबत अनावेदक नम्बर 1 व 2 ने अदालत हाजा के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसके साथ अनावेदक नम्बर 1 व 2 ने उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें अदालत मातहत ने दिनांक 19.11.2020 को एक पक्षीय आलौच्य आदेश पारित किया उक्त आलौच्य आदेश निरस्त होने योग्य है। जिसके विरूद्व न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है इसलिये अपील के निर्णय तक अदालत मातहत के निर्णय की कियान्विति को स्थगित किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2020 को एकपक्षीय स्थगन विचाराधीन आदेश से पारित किया गया है। आगामी तारिख पेशी 27.01.2021 नियत की गई है। अपीलांट द्वारा विधि अनुसार विचारण न्यायालय में उपस्थिति देने के बजाय दिनांक 25.01.2021 को यह अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है।

प्रस्तुत अपील अन्तरिम स्थगन के विरूद्व है। ऐसी स्थिति में अपील ही पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय के आदेश की कियान्विति स्थगित करने का कोई विधि सम्मत कारण अपीलांट द्वारा अंकित नही किया गया है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2020 को एकपक्षीय स्थगन विचाराधीन आदेश से पारित किया गया है। आगामी तारिख पेशी 27.01.2021 नियत की गई है। अपीलांट द्वारा विधि अनुसार विचारण न्यायालय में उपस्थिति देने के बजाय दिनांक 25.01.2021 को यह अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है। प्रस्तुत अपील अन्तरिम स्थगन के विरूद्व है। ऐसी स्थिति में अपील ही पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय के आदेश की कियान्विति स्थगित करने का कोई विधि सम्मत कारण अपीलांट द्वारा अंकित नही किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय को न्यायहित में निर्देशित किया जाता है कि आदेश 39 नियम 1 व 3 सीपीसी के प्रावधानों की पालना में विचाराधीन आवेदन धारा 212 का एक माह में अन्तिम रूप से निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर